शिक्षा : नारी सशक्तीकरण दिखावा या वास्तविकता

डॉ0 उत्तरा यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर—समाज शास्त्र विभाग,
महिला डिग्री कालेज,अमीनाबाद,लखनऊ

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का सर्वाधिक सशक्त साधन है। इस विषय में दो दो मत नहीं हो सकते है कि— मानव एवं समजा का विकास उन्मुख रूपान्तरण हो, यह केवल—शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब वह अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा देकर, देश की आवश्यकतानुसार, उसका रूपान्तरण करता है। दुर्खीम ने इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया था कि—जटिल औद्योगिक समाजेां में शिक्षण संस्थाएं एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रकार्य को सम्पन्न करती हैं जिसे परिवार द्वारा भी सम्पन्न नहीं किया जा सकता हैं। पारसन्स ने भी कुछ इसी प्रकार भी मान्यताओं को प्रस्ततुत किया है वे कहते हैं कि परिवार में प्राथमिक सामाजीकरण के पश्चात शिक्षण संस्थाएं सामाजीकरण की केन्द्रीकृत संस्था बन जाती है। डेविस एवं मूर ने भी शिक्षा की भूमिका निर्धारण में एक साधन के रूप में देखा हैं।

शिक्षा के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारक यह मानते हैं कि शिक्षा व्यक्तिगत विकास एवं सम्पूर्णता को विकसित करती है। शिक्षा व्यक्ति को अपनी मानसिक, भौतिक, संम्वेगात्मक एवं अध्यात्मिक मान्यताओं को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करती है। लर्नर का मानना था कि—साक्षरता एवं शिक्षा का विकास संचार के साधनों में वृद्धि करता है—बढ़ते हुए संचार के संसाधनों के उपयोग के परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक एवं राजनैतिक सहभागिता बढ़ती है जिससे समाज आधुनीकीकृत होकर विकासोन्मुख होता है।

अर्थात् यह कहा जा सकता है कि आर्थिक और राजनैतिक सहभागिता, जहां व्यक्ति एवं समाज को विकास उन्मुख करते हैं, वहीं इनके द्वारा व्यक्ति एवं समाज सशक्त होते हैं। आधुनिक युग में आर्थिक, राजनैतिक सहभागिता को विकास के सशक्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। महिलाओं के सन्दर्भ में भी यह कहना अनुचित न होगा कि उनमें आर्थिक, राजनैतिक सहभागिता में वृद्धि शक्ति का संचार करेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक, राजनैतिक, सहभागिता में वृद्धि केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है।

आज इस वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के युग में महिला सशक्तीकरण की चर्चा भारत ऐसे अनेक देशों में चल रही है। महिलाओं में शक्ति के प्रति ज्ञान, चेतना एवं व्यवहार का विकास तथा पुरूषों की मानसिकता में परिवर्तन सशक्तीकरण का व्यवहारिक रूप देकर ही किया जा सकता है।

आधुनिक भारत में महिला सशक्तीकरण एक बहुचर्चित प्रश्न/अवधारणा बन चुका है। जब भी किसी वर्ग विशेष की बात की जाती है तो इसमें यह पूर्व मान्यता निहित होती है कि यह वर्ग कमजोर है। इस दृष्टिकोण से महिला सशक्तीकरण का प्रश्न भी इस पूर्व मान्यता पर आधारित प्रतीत होता है कि महिला आशक्त है। महिला सशक्तीकरण को एक वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हम यह जानें कि महिला को आशक्त क्यों माना जाता

है। वैसे तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अश्रितता का है। इसे इतिहास का एक परिहास ही कहा जा सकता है कि महिला को अनादि काल से आश्रित माना गया है।

अतः महिला सशक्तीकरण का प्रश्न मूलतः महिला की अश्रितता हो जाता है जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक सभी परिप्रेक्ष्य में माना जाता है। इस सन्दर्भ में देखने पर महिला सशक्तीकरण को दो धरातलों पर देखा जा सकता है:—

1. **आश्रिता पर आधारित सशक्तीकरण एवं**
2. **महिला द्वारा अपना सर्वांगीण विकास कर आश्रितता के इस मिथक को तोड़कर, सशक्तीकरण।**

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सशक्तीकरण का पहला धरातल अवांछनीय तथा दूसरा धरातल स्वीकारनीय योग्य है। महिला का वास्तविक सशक्तीकरण तभी हो सकता है जब महिला अपना सर्वांगींण विकास कर अपने साथ सदियों से जुड़े हुए आश्रितता के इस मिथक को तोड़ें, जो केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

भारत एक पुरूष प्रधान देश है नारी के बारे में जो मानसिकता देश में व्याप्त है उसको समाप्त किये बिना सशक्तीकरण व्यवहारिक रूप नहीं ले सकता है। जेन्डर एक जैविक और सामाजिक अवधारणा हैं। पुरूष और महिला की शारीरिक रचनाएं भिन्न हैं और साथ ही साथ जेन्डर एक सामजिक प्रत्यय है जिसके अन्तर्गत पुरूष नारी को अपने अधीन समझता है। सदियों से इस संस्कृति का प्रभाव चलता आ रहा है जिसके फलस्वरूप महिला और पुरूषों के बीच असमानता बढ़ती गयी परन्तु आज यह भावना मिथक है कि पुरूष महिला से श्रेष्ठ है। ऐसी विचारधारा हमारे सांस्कृतिक विचार धाराओं, धार्मिक गाथाओं, अन्धविश्वासों, सकारात्मक एवं नकारात्मक मूल्य आदि की देन है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच असमानता एक विकृत मानसिकता की देन है जिसे भावनात्मक रूप से सही माना गया है एवं संस्थागत स्तर पर लागू किया गया है एवं संस्थागत स्तर पर लागू किया गया है और यह मानव चेतना का अंग बन गया है जिसको हम साकार रूप से लोक कथाओं, रीति रिवाजों, निषेधों आदि में देख सकते हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनको शिक्षित करके जागरूक बना सकते हैं और उनकी असमानता को समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही उन्हें यह बताती है कि जीवन के विभिन्न प्रश्नों पर कैसे सोचा जाय। शिक्षा ही प्रगति के द्वार की कुंजी है जो महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा जीवन के लिए यही प्रास्थिति को जन्म देती है जिससे व्यक्ति अपना संतुलन करके प्रगति कर सकता है। हम शिक्षा के माध्यम से प्रचीन को वर्तमान से जोड़कर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम नारी को शिक्षित नहीं करते हैं तो यह एक परछाई की भांति है जिसमें कोई तत्व नहीं है या नीर विहीन सरिता है।

शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण भी किया जा सकता है। भारत ऐसे जनतंत्रिक देश में जहां महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग आधी है। यहां उनको शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। 73वें संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। शिक्षा महिलाओं में एक राजनीतिक चेतना लायी है जिसका परिणाम महिला आरक्षण विधेयक है जो भारतीय संसद में लम्बित है।

शिक्षित महिलाओं की भूमिका विकास की राजनीति और राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण है जब से एक व्यक्ति एक वोट की बात राजनीतिक जनतंत्रिक वातावरण के फलस्वरूप

आयी ह तब से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करना है जिससे भारतीय सामाजिक संरचना को बदलकर, वे अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें और पुरूषों के शोषण से अपनी रक्षा कर सकें।

शिक्षा के माध्यम से विशेषीकरण होता है जिससे अनेक व्यवसायों का विकास होता है, व्यवसायों के आधार पर वर्ग बनते हैं, वर्गों से समाज पुनः संगठित होता है और इससे वर्गों का ध्रवीकरण भी होता है वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रगति के द्वार खुलते है। इसी सन्दर्भ में आज महिलाओं का एक नया वर्ग उभर रहा है जिसके द्वारा महिलाओं का भी सशक्तीकरण हो रहा है।

भारत की बदलती परिस्थितियों में नारी के सशक्तीकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा ने आज के जगत को प्राचीन जगत से भिन्न कर दिया है। यह एक विकास की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण के नाते समाजों की निकटता बढ़ी है। सामाजिक, सांस्कृतिक दूरी कम हुई है। आज विकास के चार प्रमुख तत्व हैं :–

- **श्रम**
- **भौतिक वस्तुएँ**
- **धन**
- **प्रबन्धन**

इसमें महिलाओं की भूमिका अहम हो सकती है। शिक्षा का प्रसार करके, महिलाओं को प्रशिक्षित करके, क्षेत्रों में श्रम शक्ति के रूप में परिवर्तित करके, उनका सशक्तीकरण किया जा सकता है।

हालांकि विज्ञान और तकनीकि से शिक्षा का विकास हुआ है परन्तु इसका वांछित लाभ महिला जगत में नहीं मिल पाया है। उपचार के क्षेत्र में मृत्युदर घटी है, लोगों की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु जन्मदर पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है। अतः जनसंख्या शिक्षा की भूमिका महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण हो गयी है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पुरूष और महिला के बीच पायी जाने वाली सामाजिक असमानता को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। पुरूष और महिला के बीच आर्थिक, धार्मिक एवं व्यवसायिक विभेदीकरण पाया जाता है। इस प्रकार की असमानता एक संस्थागत रूप ले चुकी है, यहां तक कि अन्तःक्रिया के क्षेत्र में भी पुरूष और नारी के बीच अधिक असमानता है इस असमानता को शिक्षा ही समाप्त कर सकती है।

जहां एक ओर यह सच है कि शिक्षा महिला सशक्तीकरण का एक सशक्त माध्यम बन सकती है वही एक यह भी सच है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति द्वारा महिला का वांछनीय सशक्तीकरण सम्भव नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य परिवर्तन एवं विकास होना चाहिए न की वस्तुस्थिति की कायम रखना। इस सन्दर्भ में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वास्तविक विकास उन्मुख सामाजिक परिवर्तन **KAP** माडल पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य वास्तविक ज्ञान प्रदान कर उनमें विकास करना होना चाहिए जिससे उनका व्यवहार प्रभावित होकर सही दशिा में परिवर्तन हो सके।

भारतीय सन्दर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा व्यवस्था और पद्धति में समान परिवर्ततन की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं का वास्तविक सशक्तीकरण तभी सम्भव है जब शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ ही पुरूषों के मानसिकता में भी परिवर्ततन हो यह सच है कि मानसिकता में परिवर्तन एक कठिन कार्य है परन्तु शिक्षा के माध्यम से इसे सम्भव बनाया जा सकता है।

भारतीय समाज में हमारा परिवार जिन परम्परागत मूल्यों पर आधारित था वह विलीन होते जा रहें हैं। किसी भी समाज में मूल्य विहीनता का जन्म उकस समय होता है जब वह समाज अलग–अलग चिन्तन और कार्य करने लगता है। बाजारवाद भोगवादी प्रवृत्ति आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो पारिवारिक सम्बन्धों में अभूतपूर्व परिवर्ततन ला रहे हैं। यह परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार में महिलाओं की असुरक्षा की पुष्टिभूमि तैयार कर रहे हैं।

स्त्री यदि अपने को सुरक्षित करना चाहती है तो उसे चेतना, स्वावलम्बन एवं स्वयं की पहचान विकासित करना होगा। स्त्री और पुरूष के बीच शारीरिक भेदभाव के अलावा और कोई भेद नहीं हैं, यदि है तो वह सामाजिक है जो पुरूषों की मानसिकता की देन है। इस उत्तर आधुनिकता के युग में आर्थिक स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता के अभाव में अधिक से अधिक परिवारों की स्त्रियां प्रेरणा शून्य है। भौतिकवादी युग में अर्थ ही जीवन का अधार है। परिवार में स्त्री की सुरक्षा, उसका उत्थान, परम्परागत मूल्यों की रचना ही उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इससे परिवार समाज और पूरा देश विकासोन्मुख होगा।

स्त्री के पारिवारिक असुरक्षा का मुख्य कारण मातृत्वव के प्रति सामाजिक मूल्यों का दुर्बल होना। सामाजिक गतिशीलता, पश्चिमीकरण, रोजगार के अवसर आदि से परिवार में मातृत्व तेजी से घट रहा है। यह प्रवृत्ति हमारी सामाजिक संरचना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मां–बाप, पुत्र–पुत्री, सास–बहू देवर–ननद आदि के बीच पाये जाने वाले सामाजिक सम्बन्ध बदल रहे हैं और सामाजिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। परिवार में अन्तःक्रिया के प्रतिमान, संचार के साधनों, इण्टरनेट, मोबाइल फोन पर आधारित होते जा रहे हैं।

नये टी0वी0 धारावाहिक, घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और पारिवारिक सम्बन्धों को तोड़ने के तरीके प्रस्तुत कर रहे हैं। बाप–बेटी, ससुर–पुत्रवधू , भाई–बहन के पवित्र रिश्तों पर प्रश्नवाचक चिह्म लग रहा है जैसा कि हमें बार–बार अखबारों में पढ़ने एवं टी0वी0 समाचारों में देखने को मिल रहा है। समलैंगिक विवाहों के प्रचलन बढ़ने से भी अपराध बढ़ रहे हैं।

आज हमारा भारतीय समाज महिलाओं के लिए जो परम्परा औरा आधुनिकता के प्रभावों को झेल रहा है, उसमें पारिवारिक रिश्तों से लेकर व्यावसायिक रिश्तें तक के घात–प्रतिघात है। कभी–कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। जहां परिश्रम की कोई जगह नहीं। नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, नेकी के कोई वसूल नहीं हैं। यहां तो जैसे–तैसे सम्पत्ति हड़पने की ललक है।

भारतीय महिलाओं को परम्परागत मूल्यों पर आधारित भूमिकाओं और श्रम–विभाजन को बदलकर, आधुनिक परिवेश में नयी भूमिकाओं के साथ अपने जीवन को सन्तुलित करना होगा। यह संकल्प लेना होगा कि विपरीत परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे, और एक सुन्दर भविष्य का निर्माण अपने एवं समाज के लिए करेंगे।

नारी सशक्तिकरणः दिखावा या वास्तविकता

महिलाओं में आत्म शक्ति बढ़ाकर विकास की प्रक्रिया में उनकी भागेदारी सुनिश्चित करनी होगी और इस क्रम में इनको शोषण, हिंसा, अन्याय से छुटकारा दिलाना होगा। इसका अर्थ है कि इनमें आत्म चेतना आये, साथ ही साथ इनकी भूमिका, सत्ता के क्षेत्र, स्वास्थ्य, परिस्थितिकीय, प्रोद्योगिकी, आर्थिक एवं औद्योगिकी विकास में सुनिश्चित की जाये। जब तक इनमें आत्म निर्भरता की क्षमता नहीं विकसित होगी और पुरूष के अधीन रहने की मानसिकता नहीं समाप्त होगी तब तक महिला सशक्तिकरण साकार नहीं होगा। इनके

सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाया जाए और परिवार एवं समाज में इनकी भूमिका को प्रभावी एवं प्रकार्यवादी बनाया जाये। सशिक्तकरण का अर्थ है महिलाओं में विकल्प चुनने की क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण, परिवार, सामुदायिक सम्बन्धों में सक्रिय सहभागिता, उत्पादन के संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान, साथ ही साथ राजनीति और सत्ता के क्षेत्र में आत्म चेतना।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो संवैधानिक अधिकार 73वाँ और 74वाँ संविधान संसोधन से प्राप्त है वह अप्रभावी हो गया है। क्यांकि ये घरेलू हिंसा से महिलाओं को निजात नहीं देते जो सामाजिक, संवगात्मक, शारीरिक, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्बन्धों के बीच घटित होते हैं। पुरूषों द्वारा महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा, सम्पत्ति, आत्म सुरक्षा के आड़ में शोषण, घरेलू हिंसा की अवधारणा में सम्मलित नहीं है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की गुप्तता का अधिकार भी इसमें बाधक है। इस तरह से लिंग समानता सम्बन्धी कानून, प्रकार्यात्मक रूप से निष्कृय है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में नारी सशक्तिकरण विकास की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर पद्रेश नारी शिक्षा और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से बड़ा पिछड़ा राज्य है। राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रतिव्यक्ति आय घटती जा रही है आर्थिक क्षेत्र में पुरूषों द्वारा किया गया श्रम को ही उत्पादक माना जाता है। महिलाओं के गृह कार्य को इसमें सम्मलित नहीं किया जाता है। पिछले 65 वर्षों में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका में जो परिवर्तन हुए हैं, वे संतोषजनक नहीं है। परिवार, सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक संरचना में भागीदारी के क्षेत्र में आज भी भेद–भाव पाया जाता है। पंचायती चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर इनका राजनीतिक सशक्तिकरण अवध्य हुआ है परन्तु इस दिशा में वैचारिकी और संस्थागत प्रति उत्तर संतोषजनक नहीं हैं। लिंग अनुपात घटता जा रहा है। आज के युग में महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण के लिए साक्षरता एक शक्तिशाली सामाजिक–प्रविधि है, उत्तर प्रदेश इसमें बहुत पीछे है। सरंचनात्मक परिवर्तन तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय विभिन्नता अधिक पायी जाती है जो नारी सशक्तिकरण में बाधक है।

भारत में महिला शिक्षा पर भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को शिक्षित होने पर परिवार ही नहीं समाज और देश का परिदृश्य भी बदलेगा। राष्ट्रपति ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्यों को कानून व्यवस्था में सुधार करने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियें सहित समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों को ध्यान देना होगा उन्होंने कहा– कि 21वीं सदी में भी भारतीय परिवारों में महिला सदस्यों की सुरक्षा की कमी चिंता का विषय है। जैसे कई नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बनती है ऐसे ही जब सभी महिलायें शिक्षित होंगी तो एक विशाल एवं विकसित समाज का निर्माण होगा। किसी भी देश की सामाजिक स्थिति को वहां की महिलाओं की प्रतिष्ठा और उसके सामाजिक स्थिति से जाना जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा का उनके आर्थिक विकास सहित उनके समग्र विकास के साथ एक मजबूत सम्बन्ध हैं। महिलाओं को समाज में सही स्थान हासिल करने के लिए शिक्षा के साथ–साथ कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आय अर्जित करने का लाभ उठा सकें। आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होने पर ही महिलाओं में आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बढ़ेगा और तभी समतामूलक समाज की स्थापना हो पायेगी और समाज से गैर बराबरी का भेदभाव समाप्त होगा।

नारी शिक्षा एवं सामाजिक मूल्य

नारी और पुरूष में शारीरिक भेद भाव के अलावा और कोई भेद नही है नारी किसी भी दृष्टि से हेय नही है। बल्कि वह पुरुष के बराबर की दावेदार है, अगर कमी है तो उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की जो उसके प्रगति में साधक है! महिलाएं आज भी पुरूषवादी सोच और धार्मिक अन्य विश्वासो में जकड़ी हुयी है। सशक्तिकरण की सबसे बड़ी शर्त है चेतना, स्वावलम्बन और स्वयं की पहचान इसके बिना सशक्तिकरण सम्भव नही हैं!

आर्थिक स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता के कारण नारी पूर्णतः प्रेरणा शून्य है, अपने सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा करने में असमर्थ है! वैसे तो आज के भौतिकवादी युग में अर्थ ही जीवन का आधार है चाहे स्त्री हो या पुरुष! अर्थ के बिना उदारपूर्ति भी सम्भव नही है। नारी आत्मविश्वास का विकास कर प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगी तो परिवार, समाज का ही नही बल्कि समग्र देश का विकास होगा पुरुष आश्रित व्यवस्था महिलाओ को अधिक कमजोर बनाती है। यदि ये स्वावलम्बी हो तो इन पर शोषण के अवसर कम हो जाते है! शोषण के अवसर कम हो जायेंगे और शिक्षा के द्वारा ही कम किया जा सकता है।

स्वावलम्बी होने से महिला का स्वाभिमान और आत्म सम्मान बढ़ता है और साथ ही वह प्रतिकूल परिस्थितियों को नकारने की क्षमता भी रखनी है वह समाज की संकीर्ण परम्पराओं से मुक्ति की राह पर चल सकती है।

महिला को सशक्त बनाने में शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सथान तो है, परन्तु साथ ही साथ उसे अपने सम्वेदनाओं पर भी नियन्त्रण कर स्त्री प्रगति के पथ पर चल सकती है! किस प्रकार के परिवेश में रहना है उसके अनुसार अपनी वेश भूसा को अपनाना, अल्प अवधि में किसी उच्च उपलब्धि के लिए सामाजिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा। सामाजिक परिवेश जो सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित होता है उसको ध्यान में रखकर सन्तुलन करना होगा।

सन् 1980 ई0 का दशक अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक मनाया जा रहा था, उस समय इन्दिरा गांधी ने महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सर्वप्रथम अल्टासोनों ग्राफी सिस्टेम की उपलब्धता प्रदान की क्योंकि भारत में प्रसव के दौरान शुभवंती महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। परन्तु कितनी भयावाह स्थिति है कि हमारे समाज में पुत्र की कामना इतनी प्रबल है कि न जाने कितने कनया शिशु के भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है, उसे दुनिया में आने ही नही दिया जाता है और यह स्त्री के द्वारा ही किया जाता है।

हमारे परिवारो का आधार नारी है और मातृत्व के प्रति हमारे सामाजिक मूल्य दुर्बल हो रहे है, सामाजिक गतिशीलता, पश्चिमीकरण का प्रभाव, रोजगार के अवसर आदि से परिवार में मातृत्व का महत्व तेजी से घट रहा है, यह हमारी सामाजिक संरचना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मातृत्व अवहेलना का अर्थ है। परिवार का टूटन और यही आगे चलकर सामाजिक संरचना में विसंगति लाता है। सामाजिक सम्बन्धों के प्रति हमारे सामाजिक मूल्य बदल रहे है, यहा तक कि हमारे अन्तः क्रिया के प्रमिमान भी संचार के साधनो एवं इण्टर नेट पर आधारित होते जा रहे है। उपभोगतावादी प्रवृत्ति, बाजारवाद, नये टी0वी0 धारावाहिक हमारे परिवार के अस्तित्व को चुनौती दे रहे है और घरेलू हिंसा के आधार प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारा भारतीय समाज महिलाओं के लिए अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है, परन्तु साथ ही साथ पड़ अवसर भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध है। भारतीय महिलाओ को परम्परागत मूल्यों को त्याग कर आधुनिक परिवेश

के नये मूल्यों को अपनाते हुए अपने जीवन को सन्तुलित करना होगा। इसलिए यह संकल्प लेना होगा कि विपरीत परिस्थितियों से समझौता नही करेंगे और एक सुन्दर भविष्य का निर्माण अपने एवं समाज के लिए करेंगे और यह शिक्षा के माध्यम से सम्भव है क्योंकि शिक्षित युवा महिला अब सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। भारत के लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि दो तिहाई देशों में घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून होने के बाद भी 76 प्रतिशत महिलायें अपनी जीवन में कम से कम एक बार शारीरिक रूप से हिंसा का शिकार होते हैं। महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध हिंसा रोकने सम्बन्धी विषय पर एशियाई सांसदों की आयोजित क्षेत्रीय घोष्ठी की उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि एशिया में महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के भयावह हिंसा और गैर बराबरी के व्यवहार को परम्परा के नाम से जोड़ दिया जाता है।

आज की दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशान्त के 41 में से 17 देशों की एक चौथाई से अधिक आबादी मानती है कि पति द्वारा पत्नि की पिटाई जायज है। जबकि यह सिर्फ अज्ञानता का कारण है। **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो** के अनुसार भारत में वर्ष 2010 में महिलओं के विरूद्ध हिंसा के कुल दो लाख 13 हजार पांच सौ पिचासी मामले दर्ज किये गए जो कि 2009 के दो लाख तीन हजार आठ सौ चार के मुकाबले 4.8 प्रतिशत अधिक है शिक्षित और कामकाजी महिलायें भी कई बार खुद पर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं कर पाती।

आर्थिक प्रगति और बदलाव के बावजूत हमारे यहां लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आया। इसका मुख्य कारण शिक्षा के स्तर का कम होना और इसी वजह से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी हो रही है। समाज में महिलाओं की भूमिका और अस्मिता को दोयम स्तर दिया जाता है। भारत में घरेलू हिंसा संरगक्षण कानून, समेत महिलाओं से जुड़े अनेक कानून हैं। परन्तु फिर भी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है।

वैश्वीकरण का दावा करने वाले हमारे विद्वानों के लिए यह एक डरावना हकीकत या सपना हो सकता है क्योंकि वास्तविक सच्चाई यह है कि महिलाओं के विकास की बात तो करते हैं परन्तु वास्तविकता पर गौर नहीं करते। बेहतर और खराब परिस्थितियों में रहने वाले महिलाओं को उनके अधिकारों जीवन स्तर और शिक्षा में परखा गया और उसके लिए जो मुख्य बिन्दु थे– न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। यह निष्कर्ष देखा गया कि परम्परावादी होने के बावजूद अपने घर की स्त्रियों को सताने की मानसिकता त्यागनी होगी और यह मानसिक क्रान्ति समाज में बहुत जारूरी है।

सन्दर्भ सूची

- पंचायतीराज तिहतरवां संशोधन रिपोर्ट।
- योग सन्देश, मार्च 2012
- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हिन्दी नवजागरण की समस्या –डॉ0 रामविलास शर्मा
- भारतेन्दु युग और हिन्दी भाषा की विकास परमपरा–डॉ0 रामविलास शर्मा
- हिन्दी का गद्य इतिहास–डॉ0 रामचन्द्र तिवारी
- हिन्दी साहित्य का इतिहास–डॉ0 नगेन्द्र
- हिन्दी साहित्य और संवेदना का इतिहास–डॉ0 रामस्वरूप चतुर्वेदी
- अन्धेर नगरी (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का प्रसिद्ध नाटक)सम्पादक, डा0परमानन्द श्रीवास्तव

- ❖ भारत दुर्दशा, संवेदना और शिल्प–सिद्धनाथ कुमार
- ❖ भारतेन्दु के प्रमुख नाटक ,डॉ0 सत्येन्द्र कुमार सिंह
- ❖ भारतेन्दु के नाटकों का शास्त्रीय अनुशीलन, गोपीनाथ तिवारी
- ❖ भारतेन्दु साहित्य ,श्री रामगोपाल सिंह चौहान
- ❖ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नये संदर्भ की तलाश ,श्री नारायण पाण्डेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ,श्री ब्रजरत्नदास